<u>न्यायालय-दिलीप सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> <u>जिला-बालाघाट (म.प्र.)</u>

आप.प्रक.कमांक-379 / 2012 संस्थित दिनांक-30 / 04 / 2012 फाईलिंग क.234503000932012

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र मलाजखण्ड, जिला–बालाघाट (म.प्र.)

- - - - - - <u>अभियोजन</u>

/ / <u>विरूद</u> / /

राजू पिता सुंदरलाल वासुदेव उम्र 38 वर्ष निवासी—ग्राम पौनी थाना मलाजखण्ड जिला बालाघाट (म.प्र.)

----<u>अभियुक्त</u>

// <u>निर्णय</u> //

<u>(आज दिनांक-18/12/2017 को घोषित)</u>

- 1— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 324, 506 भाग—2 का आरोप है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक—02/04/2012 को दिन के 02:00 बजे, स्थान फरियादी प्रेमलाल के घर के पीछे ग्राम पौनी, थाना मलाजखण्ड में लोक स्थान पर फरियादी को क्षोभ कारित करने के आशय से मॉ—बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व अन्य सुननेवालों को क्षोभ कारित कर फरियादी को धारदार सब्जी काटने के चाकू से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित कर, फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर संत्रास कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2— प्रकरण में दिनांक 02.05.2016 को अभियुक्त मोहन, छोटेलाल, सुमन राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323/34, 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त हुये हैं एवं अभियुक्त राजू दिनांक 02.05.2016 को राजीनामा के आधार पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त हुआ है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 राजीनामा योग्य नहीं होने से इस धारा में अभियुक्त राजू पर प्रकरण का विचारण पूर्वतः जारी रखा गया था।
- 3— अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी प्रेमलाल वासुदेव ने पुलिस थाना मलाजखण्ड में रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी कि दिनांक

02/04/2012 को गांव पडोस के राजू, मोहन एवं छोटेलाल वासुदेव ने फरियादी से चार सौ रूपयें में बकरा खरीदा था। अभियुक्तगण बकरा खरीदकर फरियादी के घर के पीछे वाले गढढे में बकरा को काट रहे थे तब फरियादी ने अभियुक्तगण से बोला था कि पहले उसे पैसा दे दो उसके बाद बकरे को काटना। तब अभियुक्तगण ने कहा था कि पहले पैसा मांगने वाला कौन होता है कहकर अभियुक्त राजू वासुदेव ने फरियादी के सिर में बायें तरफ चाकू से मार दिया था एवं भाग गया था। फिर मोहन वासुदेव ने फरियादी को लकड़ी से पीठ पर मारा था एवं छोटेलाल वासुदेव व सोहन वासुदेव ने फरियादी के साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की थी। अभियुक्तगण ने फरियादी को आज जान से खत्म कर दो कहकर मां बहन की गंदी गंदी गालियां दी थी। फरियादी मारपीट करने के कारण घटनास्थल पर गिर गया था। फरियादी के सिर में चोट आयी थी। मौके पर गवाह जगमोहन वासुदेव, उषा वासुदेव एवं फरियादी की पत्नी उमाबाई ने आकर फरियादी का बीच बचाव किया था। अभियुक्तगण द्वारा दी गयी गंदी गंदी गालियां सुनने में बुरी लगी थी। फरियादी उसके मामा जगमोहन के साथ रिपोर्ट करने गया था। पुलिस ने फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराकर फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध क्रमांक-47 / 2012 का प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्त्त किया था।

- 4— अभियुक्त पर तत्कालीन पूर्व पीठासीन अधिकारी ने निर्णय के पैरा—01 में उल्लेखित धाराओं का आरोप विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया था तो अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया था एवं विचारण चाहा था।
- 5— अभियुक्त का धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर अभियुक्त का कहना है कि वह निर्दोष हैं, प्रकरण में उसे झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया था।
- 6— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित है:—
 - 1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक—02/04/2012 को दिन के 02:00 बजे, स्थाना फरियादी के घर के पीछे ग्राम पौनी, थाना मलाजखण्ड में लोक स्थान पर फरियादी प्रेमलाल वासुदेव को धारदार शब्जी काटने के चाकू से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

—:<u>विवेचना एवं निष्कर्ष</u> :--

7— प्रेमलाल वासुदेव अ.सा.03 का कथन है कि वह अभिुयक्त को जानता

है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से पांच वर्ष पूर्व की है। अभियुक्त से बकरे के लेन—देन के संबंध में विवाद हुआ था। जिसको लेकर अभियुक्त ने साक्षी के साथ मारपीट की थी। इस कारण साक्षी ने पुलिस थाना मलाजखण्ड में रिपोर्ट लेख करायी थी जो प्र.पी.01 है। साक्षी की चोटों के संबंध में मलाजखण्ड सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में ईलाज हुआ था। पुलिस ने घटना के संबंध में साक्षी के कथन लिये थे जो प्र.पी.03 है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने सुझाव में यह अस्वीकर किया है कि उसने प्र.पी.03 के पुलिस कथन में पुलिस को अभियुक्त द्वारा चाकू से मारने वाली बात बतायी थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि उसने प्र.पी.1 की रिपोर्ट, प्र.पी.03 के पुलिस के कथन में अभियुक्त द्वारा चाकू से सिर में मारने वाली बात नहीं बतायी थी। साक्षी ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि खींचतान में झूमा झपटी में वह नीचे गिर गया था। साक्षी की साक्ष्य से ही यह स्पष्ट है कि अभियुक्त ने साक्षी के साथ चाकू से मारपीट नहीं की थी। साक्षी ने उसकी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

- 8— 🎑 जगमोहन अ.सा.०१ का कहना है कि वह अभियक्त को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से दो वर्ष पूर्व ग्राम पौनी में उसके घर के बाजू की करीब 2:30 बजे की है। घटना दिनांक को प्रेमलाल की पत्नी उमा साक्षी के घर पर बैठी थी। उसका पति प्रेमलाल उसके घर पर सोया हुआ था। अभियुक्त अन्य साक्षी के साथ प्रेमलाल के घर गया था एवं बकरे को ले जा रहा था, बकरा चिल्ला रहा था। प्रेमलाल बकरा छुडाने लगा था। प्रेमलाल ने उसकी पत्नी उमा को आवाज दी थी। तब उमा उक्त साक्षी को चिल्लाई थी तब साक्षी घटनास्थल पर गया था। अभियुक्त ने बकरा काटने वाले चाकू से प्रेमलाल के सिर पर मार दिया था। प्रेमलाल के सिर पर दो टांके लगे थे। घटना के समय उक्त साक्षी की पत्नी उषा एवं प्रेमलाल की पत्नी उमा ने बीच बचाव किया था। पुलिस ने घटना के संबंध में साक्षी के कथन लिये थे। साक्षी घटना की रिपोर्ट करने प्रेमलाल को साथ लेकर पुलिस थाना मलाजखण्ड गया था। उषा कपाडिया अ.सा. 02 ने जगमोहन कपाडिया अ.सा.01 की साक्ष्य का समर्थन किया है। अभियोजन पक्ष द्वारा उषा कपाडिया अ.सा.०२ को पक्ष विरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उषा कपाडिया अ.सा.02 ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है।
- 9— राजेश टोरिया अ.सा.06 का कहना है कि घटना के समय वह घर पर था। साक्षी को घटना की जानकारी नहीं है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष

के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है।

एल.एन.एस.उइके अ.सा.०५ का कहना है कि वह दिनांक 02.04.2012 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उक्त दिनांक को थाना मलाजखण्ड से आरक्षक बरसू क 203 आहत प्रेमलाल को मेडिकल परीक्षण के लिये लेकर आया था। साक्षी ने आहत का मेडिकल परीक्षण करने पर आहत को निम्न उपहतियां पायी थीं- चोट क01 कटाफटा घाव जिसकी लम्बाई 1 इंच गुणा 1/2 इंच चौडाई की थी जो कपाल के सामने के भाग में थी। चोट क02 शरीर के विभिन्न भागों में कंटीयूजन जो अनियमित आकार के थे। चोट क03 कंटीयूजन अनियमित आकार के थे जो सिर के उपरी भाग में थे। चिकित्सक साक्षी के मतानुसार चोट क02 व 03 सक्त व बोथरी वस्तु से आना प्रतीत होती थी। जो मेडिकल परीक्षण के दो से तीन घण्टे के अंदर की थी। चोट क01 के लिए आहत को अस्थिरोग विशेषज्ञ से परीक्षण कराने की सलाह दी गयी थी। चिकित्सक की परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.10 है जिसके ए से ए भाग पर चिकित्सक के हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में चिकित्सक साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि यदि आहत कड़ी व बोथरी वस्तु पर गिर जाये तो चोट क02, 03 जैसी चोट आ सकती है। चिकित्सक ने सुझाव में यह अस्वीकार किया है कि प्र.पी.10 की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट में आहत को आयी चोट में समय का उल्लेख नहीं किया गया था कि वह कितने बजे से कितने बजे के बीच की थी।

मनोज मांगरे अ.सा.०४ का कथन है कि वह दिनांक 02.04.2012 को 11-थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पर पर पदस्थ थे। फरियादी की रिपोर्ट पर से सहायक उपनिरीक्षक श्यामदेव डोंगरे द्वारा अपराध कायम किया गया था। उसके उपरांत साक्षी को केस डायरी विवेचना के लिए प्राप्त हुई थी। साक्षी ने उक्त दिनांक को घटनास्थल पर जाकर गवाह उषाबाई की निशांदेही पर प्र.पी. 04 का नजरीनक्शा बनाया था। उक्त दिनांक को ही साक्षी ने गवाह उमाबाई, जगमोहन, राजेश, उषा कपाडिया, प्रेमलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। दिनांक 24.04.2012 को अभियुक्त को गिरफतार कर प्र.पी.06 का गिरफतारी पंचनामा बनाया था। उक्त दिनांक को ही अभियुक्त से एक शब्जी काटने का चाकू प्र.पी.09 के जप्ती पंचनामा द्वारा जप्त किया था। परंतु प्र.पी.09 के जप्ती पंचनामा के स्वतंत्र साक्षी प्रीतम वासुदेव अ.सा.०७ ने उसकी साक्ष्य में यह बताया है कि घटना की उसे कोई जानकारी नहीं है। उसके सामने प्र.पी.09 के पंचनामा के अनुसार कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं की गयी थी। प्र.पी.09 के जप्ती पंचनामा पर उसने कब हस्ताक्षर किये थे उसे जानकारी नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन पक्ष के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि पुलिस ने उससे प्र.पी.09 के दस्तावेजों में किस बारे में हस्ताक्षर कराये थे उसे पता नहीं है। उक्त साक्षी ने उसकी साक्ष्य में प्र.पी.09 के जप्ती पंचनामा की कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है।

जगमोहन अ.सा.०१ एवं उपा कपाडिया अ.सा.०२ की साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त बकरा को जबरदस्ती खीचकर ले जा रहा था। तब फरियादी प्रेमलाल ने बकरा छुडाया था तो अभियुक्त ने फरियादी के साथ चाकू एवं हाथ मुक्कों से मारपीट की थी। परंतु प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लिखा है कि फरियादी ने अभियुक्त को चार सौ रूपये में बकरा बेचा था। फरियादी उसके पैसे मांग रहा था, उस बात पर से घटना हुई थी। जगमोहन अ.सा01 एवं उसकी पत्नी उषा अ.सा.02 की साक्ष्य में एवं प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में बकरा को ले जोने के संबंध में विरोधाभास है। जगमोहन अ.सा.01, उषा कपाडिया अ.सा. 02 ने उनकी साक्ष्य में यह बताया है कि अभियुक्त ने चाकू प्रेमलाल के सिर में मारा था। परंतु प्र.पी.01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह लिखा है कि आहत को चाकू सिर में बाये तरफ मारा था। उक्त साक्षियों की साक्ष्य एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में फरियादी को चाकू किस तरफ लगा था इस संबंध में विरोधाभास है। दोनो साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने प्रेमलाल के साथ चाकू से मारपीट नहीं की थी। ऐसी स्थिति में दोनो साक्षीगण की साक्ष्य से घटना का समर्थन होना नहीं माना जाता है। जगमोहन अ.सा.०1, उषा कपाडिया अ.सा.02 की साक्ष्य के अनुसार प्रेमलाल का अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। प्रेमलाल अ.सा.03 ने भी उसकी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है। संभवतः राजीनामा करने के कारण फरियादी ने उसकी साक्ष्य में घटना का समर्थन नहीं किया है। फरियादी द्वारा घटना का समर्थन नहीं होने के कारण चिकित्सक एल.एन.एस.उइके अ.सा.०५ की साक्ष्य एवं उनके द्वारा दी गयी प्र.पी.07 की मेडिकल रिपोर्ट से फरियादी की उपहति का समर्थन होना नहीं माना जाता है। जगमोहन अ.सा.०1, उषा कपाडिया अ.सा.02 ने उनकी साक्ष्य में घटना के संबंध में बढ़ा चढ़ाकर कथन किये हैं। दोनो साक्षीगण ने प्रतिपरीक्षण की साक्ष्य में प्रेमलाल को अभियुक्त द्वारा चाकू से मारने के संबंध में इंकार किया है। प्रकरण में अन्य स्वतंत्र साक्षीगण घटना के संबंध में पक्ष विरोधी हो गये हैं। प्रेमलाल अ.सा.03 की साक्ष्य से एवं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में परीक्षित कराए गए साक्षियों की साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी प्रेमलाल को धारदार सब्जी काटने के चाकू से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित की थी। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

- 13— प्रकरण में अभियुक्त का धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।
- 14— प्रकरण में अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जावें।
- 15— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक शब्जी काटने का चाकू अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट (दिलीप सिंह) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

